सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 25, शुक्रवार, शाके 1942- मई 15, 2020 *Vaisakha 25, Friday , Saka 1942- May 15, 2020*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 12, 2020

संख्या प.18(13)नविवि/जयपुर/2016(लूज) :-एकीकृत भवन विनियम 2017 के बिन्दु 14.11. में कोविड-19 के मध्यनजर सक्षम स्तर से लिए गये निर्णय अनुसार निम्न प्रकार से संषोधित किया जाता है ''भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि, लीज-डीड/पट्टे में उल्लेखित भवन निर्माण अवधि या 7 वर्ष जो भी कम हो, होगी। लीज-डीड/पट्टे में उल्लेखित निर्माण अवधि के विस्तार होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा अवधि में स्वतः ही विस्तार माना जावेगा। 7 वर्ष के बाद भी निर्माण पूर्ण नहीं होने पर आवेदन की कीमत व जांच फीस लेकर 2 वर्ष के लिए निर्माण अनुज्ञा अवधि बढायी जा सकेगी। बशर्ते चाही गई स्वीकृति में छोटे आंतरिक परिवर्तनों के अलावा फेरबदल नहीं दर्शाया हो।''

एकीकृत भवन विनियम 2017 की अनुसूची 2 में विहित भवन निर्माण संबंधी के अनुसार राशि मांग पत्र जारी होकर आवेदक को प्राप्त होने की तिथि (Social media- एवं अन्य माध्यमों से इसकी पुष्टि पश्चात्) से 60 दिवस में जमा करानी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जा सकेगी। ब्याज की गणना विलंब अवधि के लिए ही की जावेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मनीष गोयल,

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।